उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड

U.P.Power Corporation Limited

(Govt. of Uttar Pradesh Undretaking)

शक्ति भवन, विस्तार, 14–अशोक मार्ग, लखनऊ

CIN : U32201UP1999SGC024928

संख्याः–484–औस/पाकालि/2015–11(5)ए0एस0/2011 **दिनांक : 06 फरवरी, 2015**

कार्यालय ज्ञाप

उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड द्वारा अपने सेवारत/सेवानिवृत्त कर्मचारियों/अधिकारियों एवं उन पर पूर्णतः आश्रित परिजनों तथा पारिवारिक पेंशनरों के भर्ती के दौरान कराये गये उपचार पर हुए व्यय की प्रतिपूर्ति कारपोरेशन द्वारा निर्धारित प्रतिबन्धों शर्तों एवं कारपोरेशन द्वारा अनुमोदित दरों जो कारपोरेशन के वेबसाइट www.uppcl.org-Personnel पर उपलब्ध है, के अधीन कारपोरेशन के आदेश संख्या–4452–औसं–17/पाकालि/2009, दिनांक 09.12.2002 सपठित आदेश संख्या–3593–औसं–17/पाकालि/2003, दिनांक 2107.2003 में निहित प्राविधानों/मानकों के अर्न्तगत मुख्य अभियन्ता (वितरण), गाजियाबाद क्षेत्र, पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लि0, गाजियाबाद के पत्र संख्या–4939/मु0अ0/गा0बा0क्षे0/गा0 दिनांक 18.02.2014 के साथ संलग्न निरीक्षण आख्या एवं संस्तुतियों के परिप्रेक्ष्य में ***"रामा सुपरस्पेशिलिटि हॉस्पिटल एण्ड रिसर्च सेन्टर, एन0एच0–24 हापुड़–दिल्ली हाइवे (38 किलोमीटर माइल स्टोन), गाजियाबाद–245304, फोन नं0–0122–2327300/2327311"*** को एतद्द्वारा दिनांक 30.06.2016 तक के लिए कारपोरेशन की मान्यता प्रदान की जाती है।

उपर्युक्त चिकित्सालय में भर्ती के दौरान हुए चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति पूर्ववर्ती परिषद के आदेश संख्या–2088–एन0जी0–2/एस0ई0बी0(चार)29–एन0जी0–2/78, दिनांक 24.05.78 एवं समय–समय पर निर्गत आदेशो में निहित प्राविधानों एवं शर्तो के अधीन अनुमन्य होगा।

1– अस्पताल को विभाग द्वारा अनुमोदित दरों के अतिरिक्त अन्य कोई चार्ज देय नही होगें। किसी भी प्रकार का परामर्श शुल्क देय न होगा।

2– चिकित्सालय को अपने परिसर में एक साइन बोर्ड लगाना होगा जो यह दर्शायें कि "उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 द्वारा दिनांक 30.06.2016 तक के लिए मान्यता प्राप्त चिकित्सालय"।

3– चिकित्सालय को उ0प्र0 कारपोरेशन लि0 का एक रजिस्टर अलग से रखना होगा और प्रतिमाह अस्पताल को निम्नलिखित सूचना कारपोरेशन के वरिष्ठ कार्मिक अधिकारी, शक्ति भवन, लखनऊ को भेजनी होगी :–

(क) रोगी का नाम/पदानाम/वेतनमान/नियुक्ति स्थान/आयु एवम् लिंग।
(ख) पूर्णतः आश्रित होने की दशा में रोगी का कार्मिक से सम्बन्ध।
(ग) अस्पताल में भर्ती होने एवं डिस्चार्ज होने की तिथि।
(घ) कार्मिक का वेतनमान।
(ङ) रोग का नाम (डाइग्नासिस)।
(च) कुल चार्ज की गयी धनराशि।

4– चिकित्सालय द्वारा कारपोरेशन को यह वचन पत्र देना होगा कि वह कारपोरेशन की वेबसाइट www.uppcl.org-Personnel पर दर्शायी गयी दरों पर उपचार करने हेतु सहमत है।

5. यदि अस्पताल द्वारा अनिवार्य रूप से भोजन दिया जाता है तो अस्पताल के बीजकों में भोजन की मद हेतु रू0 50/– प्रतिदिन की कटौती कर ली जाएगी।

6. चिकित्सालय का पंजीकरण जिला मुख्य चिकित्साधिकारी से नियमित रूप से प्रतिवर्ष नवीनीकृत कराकर कारपोरेशन को प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

7. निर्धारित/अनुमोदित दरों से विचलित होने पर अथवा शर्तो का उल्लंघन करने पर सम्बन्धित चिकित्सालय की मान्यता स्वतः समाप्त समझी जाएगी।

निदेशक (कार्मिक प्रबन्धन एवं प्रशासन)

क्रमशः 2/

IR Section

संख्याः–484–औस/पाकालि/2015–तद्दिनांक :–

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवम् आवश्यक कार्यवाही हेतु निम्नलिखित को प्रेषित :–

1. अध्यक्ष, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ से सम्बद्ध निजी सचिव।
2. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ से सम्बद्ध निजी सचिव।
3. निदेशक (कार्मिक प्रबन्धन एवं प्रशासन)/(वितरण)/(वित्त)/(वाणिज्य)/(कारपोरेटर प्लानिंग), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ से सम्बद्ध निजी सचिव।
4. प्रबन्ध निदेशक एवं निदेशक गण, उ0प्र0 पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
5. प्रबन्ध निदेशक, विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, मध्यांचल, लखनऊ/पूर्वान्चल, वाराणसी/पश्चिमांचल, मेरठ/दक्षिणांचल, आगरा एवं केस्को, कानपुर।
6. अध्यक्ष, विद्युत सेवा आयोग/जांच समिति–प्रथम एवं द्वितीय, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0।
7. मुख्य अभियन्ता (जल विद्युत), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
8. समस्त मुख्य अभियन्ता (वि0), को इस अभ्युक्ति के साथ प्रेषित है कि वे अपने स्तर से उक्त से अधीनस्थ अधिकारियों को भी अवगत करा दे।
9. समस्त उप महाप्रबन्धक (औ0सं0)/वरिष्ठ कार्मिक अधिकारी, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0।
10. समस्त अपर सचिव/सयुक्त सचिव/महाप्रबन्धक/उप महाप्रबन्धक (लेखा/वित्त), उप मुख्य एवं वरिष्ठ लेखाधिकारी/लेखाधिकारी (वेतन एवं लेखा), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0।
11. समस्त अनुभाग अधिकारी/निजी सचिव–प्रशासनिक एवं लेखा स्कन्ध, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0।
12. अधिशासी अभियन्ता (वेब), कक्ष सं0–407, शक्ति भवन को उक्त कार्यालय ज्ञाप को कारपोरेशन की वेबसाइट www.uppcl.org-Medical पर लोड करने हेतु।
13. सलाहकार (चिकित्सा), उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
14. प्रबन्ध निदेशक, रामा सुपरस्पेशिलिटि हास्पिटल एण्ड रिसर्च सेण्टर, एन0एच0–24 हापुड, दिल्ली हाइवे (38 किलोमीटर माइल स्टोन), गाजियाबाद–245304, फोन नं0–0122–2327300/2327311.
15. सचिव, विद्युत पेशनर्स परिषद (उ0प्र0), 13 कीर्ति अपार्टमेण्ट स्टेशन रोड, लखनऊ।
16. कट फाइल।

(कौशल चन्द्र सक्सेना)
उप महाप्रबन्धक (औ0सं0)